न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी।

फौ० वाद सं०-३९/२०१३

सरकार **बनाम** **धर्मेन्द्र**

अ०.सं०–१७०/२०१२
धारा–२५ आयुध अधि०
थाना– गरौठा,
जिला– झांसी।

मै, **विकास कुमार सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी आप धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार पुत्र केदारी लाल को निम्न रूप में आरोपित करता हूंः-

१- यह कि दिनांक ३१.१०.२०१२ को समय करीब १.१५ बजे रात्रि , बहद पप्पू लखरिया के खेत के पास जंगल झाडियों में बनी पन्नी की झोपडी, ग्राम लखरिया, थाना गरौठा, जिला झांसी में आपके कब्जे से एक लोहे की नाल एवं दो अदद् जिन्दा कारतूस १२ बोर नाजायज बरामद हुआ है, जिसका लाइसेन्स तलब किया गया तो, आपके द्वारा नहीं दिखाया गया, जो आयुद्ध अधिनियम की धारा- २५ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त धारा में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक ११.०२.२०२०

(विकास कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की।

दिनांक ११.०२.२०२०

(विकास कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा,झांसी।